बिहार विधान-सभा वादवृत्त।

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान सभा का कार्य विवरण।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा सदन में मंगलवार, तिथि २६ मार्च, १९५७ को ११ बजे पूर्वाह्न में माननीय अध्यक्ष, श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्मा के सभापतित्व में हुआ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह—महाशय, मैं अष्टम (सितम्बर, १९५५) सत्र के रुके हुये शेष ६१३ अतारांकित प्रश्नों में से ३४४ प्रश्न के उत्तर मेज पर रखता हूं। शेष २६९ अतारांकित प्रश्न के उत्तर भी सचिवालय के विभागों से प्राप्त होने पर प्रस्तुत किये जायेंगे।

*ये हैं गत् अष्टम (सितम्बर-दिसम्बर, १९५५) सत्र में पूछे गये ३१५ अतारांकित प्रश्नों के उत्तर। शेष प्रश्नों के उत्तर संबंधित विभागों से प्राप्त होने पर प्रस्तुत किये जायेंगे।

सूची।

क्रम संख्या।	सदस्य।	प्रश्न संख्या।
१	श्री राजाराम आर्य	१९६।
२	श्री त्रिवेणी कुमार	१९७, ४०१।
३	श्री कमला राय	१९८, २०१।
४	श्री जगन्नाथ महतो	१९९, ३२९, ३३८, ३९२, ४७७।
५	श्री कर्पूरी ठाकुर	२००, २१८, २२२, २४५, २४६, २५४, २५७, २५८, ३०६, ३६३, ३९७, ४४९, ४५३, ४६२, ४६५, ४६६, ४७३, ४७६, ५०१।
६	श्री विलियम हेम्ब्रोम	२०२।
७	श्री योगेश्वर घोष	२०३, २०४, २५२।
८	श्री नन्दकिशोर नारायण	२०५, २११, २१७, २१९।
९	श्री पुनीत राय	२०६, २२८, २३४, २६४।
१०	श्री बशिष्ठ नारायण सिंह	२०७, २२९, २३८, २८३, ३०५, ३१८, ३८७, ४३१।

---

* पृष्ठ संख्या ३ से ३६६ पर जो अतारांकित प्रश्नोत्तर हैं वे तिथि २३ मार्च १९५७ को सभा मेज पर रखे जाने वाले थे मगर वे २६ मार्च १९५७ को सभा मेज पर प्रस्तुत किये गये। अतः उक्त पृष्ठों पर जो तिथि अंकित है उसके बदले में कृपया तिथि २६ मार्च १९५७ पढ़ा जाय।

श्री रामगढ़ी राय के बारे में रिपोर्ट है कि वे १९४२ के आंदोलन में अन्डर-ट्रायल प्रिजनर थे लेकिन कुछ दिनों के बाद छोड़ दिये गये थे । इन्होंने अपनी दर-खास्त में इसका जिक्र नहीं किया है कि वे कितने दिनों तक जेल में थे ।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर प्रश्नकर्त्ता स्वयं बतायें कि ये कितने दिनों तक जेल गये थे, अगर १९४२ के आंदोलन में तीन महीने से ज्यादा और १९३०--३२ के आंदोलन में ६ महीने से ज्यादा जेल गये होंगे तो इनके केस पर पुन: विचार किया जा सकता है ।

श्री दारोगा प्रसाद राय—मैं कहना चाहता हूं कि १९४२ के आंदोलन में ये काफी दिनों तक अंडर-ट्रायल प्रिजनर थे और घर वगैरह की काफी नुकसानी हुई थी ।

श्री कृष्ण वल्लभ सहाय—माननीय सदस्य को अगर इसकी जानकारी है कि १९३०—३२ के आंदोलन में ये सज्जन ६ महीने से अधिक जेल में गये थे और १९४२ के आंदोलन में ३ महीने से अधिक जेल में गये थे तो इसपर सरकार फिर से विचार करेगी ।

HELP TO SHRI LALJEE SINGH.

*4. **Shri DAROGA PRASAD ROY** : Will the Chief Minister be pleased to state—

(1) whether it is a fact that one Shri Laljee Singh, son of Shri Gopi Singh, village Tokian, Tola Shreenagar, P.-S. Chapra Muffasil, district Saran, took active part in the Movements of 1930, 1933 and 1942 and was sentenced to imprisonment for different terms ;

(2) whether it is a fact that he was fined Rs. 100 for which his belongings including cow, ox and buffalo were auctioned ;

(3) what are the reasons that he has not been given relief out of Political Sufferers' Relief Fund though his case was enquired into thrice ?

श्री कृष्ण वल्लभ सहाय—(१) अपनी दरखास्त में श्री लालजी सिंह ने खुद बयान किया था कि १९३१ की आजादी की लड़ाई में वे केवल ३ महीने के लिये जेल गये थे ।

(२) गवर्नमेंट के पास कोई सूचना नहीं है ।

(३) जिस मापदंड से राजनीतिक पीड़ितों को गवर्नमेंट अभी सहायता देती है उसके अनुसार ये सहायता पाने के लायक नहीं हैं ।

श्री दारोगा प्रसाद राय—क्या मापदंड है जिसमें ये नहीं आते हैं ?

श्री कृष्ण वल्लभ सहाय—मैंने आपको कहा कि १९३०—३२ के आंदोलन में जो ६ महीने के लिये जेल गये हों उनको सहायता दी जाती है और १९४२ के आंदोलन में जो ३ महीने जेल गये हैं उनको सहायता देते हैं ।

श्री दारोगा प्रसाद राय—क्या १९४२ के आंदोलन में ये जेल नहीं गये थे ?

श्री कृष्ण वल्लभ सहाय—इन्होंने इसका जिक्र अपनी दरखास्त में नहीं किया है । लेकिन यदि माननीय सदस्य बतायें कि ये और भी १९४२ में जेल गये थे तो फिर से इसपर विचार किया जा सकता है ।

श्री दारोगा प्रसाद राय—फाइन के बारे में भी जांच की जाय ।

श्री कृष्ण वल्लभ सहाय—सरकार का यह जेनरल एलान है कि फाइन का रुपया सब को लौटा दिया जाय ।

नरकटिया में अंचल की आवश्यकता ।

*१२७। श्री रामसुन्दर तिवारी—क्या मुख्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि बिहार सरकार ने चम्पारण जिला के आदापुर थाना में दो अंचल एक नरकटिया और दूसरा आदापुर में खोलने का अंतिम निर्णय कर लिया है ;

(२) क्या यह बात सही है कि १९५६ में चम्पारण के अडिशनल कलक्टर ने इस संबंध में एक पत्र लिखा था जिसमें नरकटिया अंचल कहां रहे, पूछा था और सरकार ने उस पत्र के उत्तर में यही जवाब दिया था कि अंचल नरकटिया में ही रहेगी ;

(३) क्या यह बात सही है कि आदापुर के अंचल अधिकारी ने मनमाने ढंग से चम्पारण के कलक्टर के पास सिफारिशें की हैं कि नरकटिया में अंचल नहीं रखा जाय ;

(४) क्या यह बात सही है कि खंड (३) में उल्लिखित बातों से नरकटिया की जनता काफी क्षुब्ध है और उन लोगों ने माननीय मुख्य मंत्री को २२ फरवरी, १९५७ को एक आवेदन-पत्र दिया जिसमें उनसे अनुरोध किया कि अंचल नरकटिया में ही रखा जाय ;

(५) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पूर्व निश्चयानुसार अंचल नरकटिया में ही रखेगी और १९५७ के अगस्त में लागू करेगी ?

श्री कृष्ण वल्लभ सहाय—(१) चम्पारण जिले के आदापुर थाने में दो अंचल खोले जायंगे जिसका मुख्य कार्यालय नरकटिया और दूसरा आदापुर में होगा ।

(२) आदापुर न० २ अंचल का मुख्य कार्यालय नरकटिया में रखने का जो सुझाव अडिसनल कलक्टर ने दिया था उसे सरकारी स्वीकृति मिल चुकी है । इस संबंध में सरकारी आदेश निकट भविष्य में हो जायगा ।

(३) सरकार को इसकी सूचना नहीं है ।

(४) मुख्य मंत्री के पास इस आशय का एक आवेदन-पत्र आया है ।

(५) आदापुर न० २ अंचल ब्लीक १९५८-५९ ई० में खोला जायगा, जिसका मुख्य कार्यालय नरकटिया में होगा ।